डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226031

कार्यपरिषद की 33वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	33वीं बैठक
दिनांक	:	24 सितम्बर, 2018
दिन	:	सोमवार
समय	:	पूर्वान्ह 12:00 बजे
स्थान	:	मालवीय सभाकक्ष, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0 प्र0, लखनऊ की दिनांक 24.09.2018 को पूर्वान्ह 12:00 बजे सम्पन्न हुई 33वी बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 कैलाश नारायण प्रति कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।	सदस्य
3.	श्री अवध किशोर उप सचिव, नामित प्रतिनिधि-सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0 शासन।	सदस्य
4.	प्रो0 ए0के0 चतुर्वेदी निदेशक, अभियांत्रिकी आई0आई0टी0, रूड़की।	सदस्य
5.	प्रो0 एस0के0 अवस्थी पूर्व निदेशक, एच0बी0टी0आई0 कानपुर एवं नामित सदस्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य
6.	प्रो0 नीरज मिश्रा निदेशक नामित प्रतिनिधि गणित एवं सांख्यिकी विभाग आई0आई0टी0, कानपुर।	सदस्य
7.	निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बाँदा।	सदस्य
8.	निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र।	सदस्य
9.	प्रो0 एच0के0 पालीवाल निदेशक, आई0ई0टी0, लखनऊ।	विशेष आमंत्री
10.	प्रो0 मनीष गौड निदेशक, सेन्टर फार एडवांस स्टडीज, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।	विशेष आमंत्री
11.	डा0 वीरेन्द्र पाठक निदेशक, यू0पी0इंस्टीट्यूट आफ डिजाईन, नोएडा।	विशेष आमंत्री

12. प्रो0 वंदना सहगल विशेष आमंत्री
अधिष्ठाता/प्राचार्य
वास्तुकला संकाय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

13. डॉ0 राजीव कुमार, विशेष आमंत्री
परीक्षा नियत्रक,
डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

14. प्रो0 जे0बी0 श्रीवास्तव, विशेष आमंत्री
अधिष्ठाता फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग
ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

15. प्रो0 के0वी0 आर्य विशेष आमंत्री
अधिष्ठाता परास्नातक पाठ्यक्रम
ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

16. प्रो0 विनीत कंसल विशेष आमंत्री
अधिष्ठाता स्नातक पाठ्यक्रम
ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

17. डॉ0 ओ0पी0 सिंह, विशेष आमंत्री
अधिष्ठाता स्टूडेन्ट वेलफेयर,
ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

18. श्री नरेन्द्र कुमार चौबे, विशेष आमंत्री
वित्त अधिकारी,
ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

19. डॉ0 राजीव कुमार सिंह विशेष आमंत्री
उप कुलसचिव,
ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

21. श्री नन्द लाल सिंह सदस्य सचिव
कुलसचिव,
ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थिति सभी सदस्यों का स्वागत किया गया एवं कार्यपरिषद के सम्मानित सदस्यों को कार्यपरिषद मे नामित नये सदस्यो से परिचय कराने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा की गयी। अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त अधिष्ठाता स्नातक पाठ्यक्रम प्रो0 विनीत कंसल द्वारा विश्वविद्यालय की विगत एक वर्ष की प्रगति आख्या का पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया। विश्वविद्यालय की विगत एक वर्ष की प्रगति पर कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया तथा प्रस्तुतीकरण हेतु अधिष्ठाता स्नातक पाठ्यक्रम की सराहना की गयी। उक्त के उपरान्त कार्यसूची में सम्मिलित औपचारिक बिन्दुओं पर विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ।

मद संख्या 33.01 विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की दिनांक 02-04-2018 को सम्पन्न 32वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

सचिव कार्यपरिषद द्वारा अगवत कराया गया कि कार्यपरिषद की 32वीं बैठक का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्याए0के0टी0यू0/कुस0का0/का0परि0/2018/9459 दिनांक 02.04.2018 के साथ संलग्न कर कार्यपरिषद के सभी माननीय सदस्यों को प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त के अंकन के संदर्भ में कोई टिप्पणी/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में कार्यपरिषद द्वारा 32वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोलन कर पुष्टि प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है)

मद संख्या 33.02 कार्यपरिषद की दिनांक 02.04.2018 को सम्पन्न हुई 32वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।

परिषद की दिनांक 02.04.2018 को सम्पन्न हुई 32वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण परिषद के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया। परिषद द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित मद पर पुनः निर्देश प्रदान किया गयाः-

1 **मद संख्या 32.14** विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय/वित्त पोषित ऐसी संस्थायें जो नव प्रवेशित छात्रों का छात्र कल्याण निधि के अन्तर्गत, संस्थान में जमा धनराशि को विश्वविद्यालय में जमा कराते हुए उनके द्वारा इस आशय का अनुरोध किया जाता है तो ऐसी संस्थान को विश्वविद्यालय की छात्र कल्याण निधि के अन्तर्गत नियमानुसार सुविधा देय होगी, पर अनुमोदन प्रदान किया गया। **(कार्यवाही: वित्त अधिकारी)**

2 **मद संख्या 32.15** परिषद के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के संस्थान एवं विश्वविद्यालय के घटक संस्थान में संविदा पर नियत वेतनमान पर शिक्षकों की नियुक्त हेतु जारी कार्यालय आदेश संख्या अ0क0प्रा0वि0/कुप0का0/2018/9629 दिनांक 27 जून, 2018 द्वारा विश्वविद्यालय के फैकल्टी आफ आर्किटेक्चर, ए0के0टी0यू0, लखनऊ, आई0ई0टी0, लखनऊ, सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज, ए0के0टी0यू0, लखनऊ, एवं उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, ए0के0टी0यू0, नोएडा मे पठन-पाठन के लिए शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए संविदा के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार नियत वेतन पर नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों के मानदेय

पद	नियत वेतन
प्रोफेसर	अंतिम वेतन माइनेस पेंशन (अधिकतम रू0 70,000/-) प्रतिमाह।
एसोसिएट प्रोफेसर	रू0 60,000/-प्रतिमाह।

सहायक प्रोफेसर	1. रू0 45,000/-प्रतिमाह (एम0बी0ए0/एम0टेक0 एप्लाइड साइंस में पी-एच0डी0) 2. रू0 50,000/-प्रतिमाह (इंजीनियरिंग पी-एच0डी0 में)

पर भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. **मद संख्या 32.21.01** में इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, लखनऊ में सिविल इंजीनियिरिंग विभाग के शोध छात्र श्री देवेश ओझा द्वारा कोर्स वर्क की परीक्षा में गयी अनियमितता के फलस्वरूप श्री देवेश ओझा के ऊपर की गयी कार्यवाही से समिति अवगत हुई और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इस उद्देश्य हेतु नीति निर्धारण किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही: निदेशक, आई0ई0टी0, लखनऊ)

4. **मद संख्या 32.21.03** इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, लखनऊ के एप्लाइड साइंस एण्ड ह्यूमिनीटीज विभाग के प्रोफेसर, डा0 अरूण कुमार कटियार की पूर्व संस्था में की गयी सेवाओ को आई0ई0टी0, लखनऊ की अर्हकारी सेवा में अन्य लाभो हेतु जोडे जाने के संबंध में निदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री कटियार के प्रकरण में संबंधित विश्वविद्यालय से पत्राचार किया गया है। कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई।

(कार्यवाही: निदेशक, आई0ई0टी0, लखनऊ)

5. **मद संख्या 32.21.04** टेक्यूप परियोजना (फेस-3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के आगामी प्रथम त्रिमास के एक्शन प्लान एवं रिवाईज्ड प्रक्योरमेन्ट प्लान का अवलोकन किया एवं कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई।

(कार्यवाही: प्रभारी, टेक्यूप परियोजना)

6. **मद संख्या 32.20** परिषद द्वारा बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5 एवं 6 पर त्वरित कार्यवाही के लिए निर्देश प्रदान किया गया।
   1. इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, लखनऊ को तात्कालिक प्रभाव से विघटित किया जाता है। तद्सम्बन्ध में रजिस्ट्रार, सोसाइटी एवं चिट फंड को अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
   2. इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, लखनऊ के विघटन के फलस्वरूप इसकी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति का स्वामित्व विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित करने का आदेश शासन स्तर से निर्गत करने के लिए, शासन से अनुरोध किया जाय।
   3. पूर्व गवर्नमेन्ट कालेज आफ आर्किटेक्चर की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति को विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित करने का आदेश शासन स्तर से निर्गत करने के लिए, शासन से अनुरोध किया जाय।
   4. संस्थान द्वय एवं उनकी प्रवर्तक सोसाइटी के विरूद्ध पूर्व से योजित समस्त वाद विश्वविद्यालय के दायित्व होगें।
   5. संस्थान द्वय के समस्त कर्मचारी विश्वविद्यालय के कर्मचारी होगें तथा विश्वविद्यालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन होगें।

6. घटक संस्थान/संकाय घोषित होने के पूर्व से इन संस्थानो में कार्यरत समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक लाभों को पूर्व की व्यवस्थानुसार यथा कोषागार से पेन्शन भुगतान एवं ग्रेच्यूटी इत्यादि की अनुमन्यता यथावत रहेगी। इसको सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित करते हुए इस सन्दर्भ में राज्य सरकार को प्राथमिकता पर शासनादेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 33.03 कार्यपरिषद की दिनांक 02.04.2018 को सम्पन्न 32वीं बैठक के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव एवं सेन्टर फार एडवांस स्टडीज, ए0के0टी0यू0, लखनऊ के सहायक कुलसचिव के पद पर अपनायी गयी नियुक्ति प्रक्रिया पर विचार।

क. कार्यपरिषद की दिनांक 02.04.2018 को सम्पन्न 32वी बैठक के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित पत्र दिनांक 20.03.2018 के प्रतिउत्तर में शासन के पत्र संख्या 1807/सोलह-1-2018-15(06)/2000 दिनांक 01 मई, 2018 द्वारा विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव हेतु स्तम्भ 04 में उल्लिखित भर्ती की विधि को निम्नवत् प्रतिस्थापित/संशोधित किया गया:-

'' प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अथवा उक्त शासनादेश दिनांक 20.09.2018 के स्तम्भ-03 में उल्लिखित अर्हता के साथ सीधी भर्ती से,''

तद्क्रम में विगत कार्यपरिषद के निर्णयानुसार मा0 कुलपति महोदय से अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का लिफाफा खोलकर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। सहायक कुलसचिव पर नियुक्ति निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

क्र0 स0	चयनित अधिकारी का नाम	पदनाम	वेतन आयोग	वेतनमान/ ग्रेड-पे	मूलवेतन
1	डॉ0 आशुतोष द्विवेदी	सहायक कुलसचिव	सप्तम	लेवल-8	47600/-
2	डॉ0 आयुश श्रीवास्तव	सहायक कुलसचिव	सप्तम	लेवल-8	47600/-
3	श्री शान्तनू पाठक	सहायक कुलसचिव	सप्तम	लेवल-8	47600/-

ख. कार्यपरिषद की दिनांक 02.04.2018 को सम्पन्न 32वी बैठक के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित पत्र दिनांक 20.03.2018 के प्रतिउत्तर में शासन के पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 2018 द्वारा सेन्टर फार एडवांस स्टडीज, लखनऊ में सृजित सहायक कुलसचिव पद की अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया वही होगी जो पद सृजन हेतु जारी शासनादेश में उल्लिखित है। तद्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा सेन्टर फार एडवांस स्टडीज के सहायक कुलसचिव के भर्ती की प्रक्रिया के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से कार्यपरिषद के मा0 सदस्यो से ई-मेल के माध्यम से अनुमति प्राप्त करते हुए लिखित परीक्षा आयोजित करायी गयी। शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा एवं अनुभव के अंको को जोडते हतु योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया। उक्त के क्रम में मा0 कुलपति महोदय से अनुमति प्राप्त करते हुए सेन्टर फार एडवांस स्टडीज में सहायक कुलसचिव पद पर चयनित निम्नांक्ति अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया जिन्होने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

क्र0 स0	चयनित अधिकारी का नाम	पदनाम	वेतन आयोग	वेतनमान/ ग्रेड-पे	मूलवेतन
1	श्री सुनील कुमार पाण्डेय	सहायक कुलसचिव	सप्तम	लेवल-7	44900/-

2	श्री सौरभ सिंह	सहायक कुलसचिव	सप्तम	लेवल-7	44900/-

सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज के सहायक कुलसचिव, श्री सौरभ सिंह, के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त उनके द्वारा वेतन संरक्षण की माँग की गयी उनके मूल वेतन को नियमानुसार रू0 56900/- संरक्षित करने के प्रकरण को कार्य परिषद को अवगत कराया गया।

कार्य परिषद ने उपरोक्त नियुक्तियों से अवगत होते हुए यह निर्देशित किया कि श्री सौरभ सिंह, सहायक कुलसचिव, के नियुक्ति पत्र में वेतनमान संबंधी आवश्यक संशोधन तद्नुसार कर दिया जाए।

(कार्यवाहीः उप कुलसचिव)

मद संख्या 33.04 विद्या परिषद की दिनांक 10.09.2018 को सम्पन्न हुई 57वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।

परिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत विद्या परिषद की दिनांक 10.09.2018 को सम्पन्न हुई 57वीं बैठक के कार्यवृत्त पर परिशीलनोपरान्त संस्तुति प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः उप कुलसचिव)

मद संख्या 33.05 विश्वविद्यालय की भवन एवं निर्माण समिति की दिनांक 12.09.2018 को सम्पन्न हुई 22वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।

परिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत भवन एवं निर्माण समिति की दिनांक 12.09.2018 को सम्पन्न हुई 22वीं बैठक के कार्यवृत्त पर परिशीलनोपरान्त संस्तुति प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः अवर अभियन्ता)

मद संख्या 33.06 वित्त समिति की दिनांक 18.09.2018 को सम्पन्न हुई 51वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।

परिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत वित्त समिति की दिनांक 18.09.2018 को सम्पन्न हुई 51वीं बैठक के कार्यवृत्त पर परिशीलनोपरान्त संस्तुति प्रदान करने के साथ-साथ बिन्दु संख्या 18:51:34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव से भी अवगत हुई और कर्मचारी कल्याण निधि में प्रस्तावानुसार यथाशीघ्र संशोधन करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही वित्त समिति के मद संख्या 18:51:51 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के संस्थान वास्तुकला संकाय, सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन एवं घटक संस्थान इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ में लागू टेस्टिंग एण्ड कंसलटेन्सी नियम से संबंधित प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त अधिकारी)

मद संख्या 33.07 शैक्षिक सत्र 2018-19 में विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 29.01.2018, 08.02.2018, 05.04.2018, 11.05.2018, 14.05.2018, 19.07.2018 एवं 13.08.2018 को सम्पन्न हुई बैठक की अनुशंसा के क्रम में संस्थानों को निर्गत सम्बद्धता पर कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार।

परिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत विश्वविद्यालय की समबद्धता समिति की सम्पन्न हुई समस्त बैठक के उपरान्त संस्थाओं को जारी सम्बद्धता पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। सम्बद्धता से संबंधित प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद के निर्णयानुसार कार्यवाही से भी परिषद अगवत हुई। साथ ही मा0 न्यायालय में योजित वाद के अतिरिक्त जो संस्थान उसी के समकक्ष श्रेणी के थे उनको भी सम्बद्धता प्रदान करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही: उप कुलसचिव)

मद संख्या 33.08 डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में सृजित पदों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के दृष्टिगत नये पदों के सृजन के सम्बन्ध में विचार।

परिषद द्वारा कार्यसूची के विषय बिन्दु के अन्तर्गत विश्वविद्यालय हेतु प्रस्तुत निम्नलिखित पद सृजन संबंधी प्रस्ताव,

क्र0सं0	पद नाम	निर्धारित शैक्षिक योग्यता	प्रस्तावित पदों की संख्या
1.	प्रोफेसर, ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट 37400-67000 ए0जी0पी0 10000/	एम0बी0ए0 (एच0आर0), प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, पी-एच0डी0 तथा प्रशासकीय/शैक्षिक कार्य का 15 वर्ष का अनुभव एवं शासन व विश्वविद्यालय के नियमों का ज्ञान।	01 सीधी भर्ती से
2.	ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट आफिसर, वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4600/- (लेबल-7)	एम0बी0ए0 (एच0आर0), प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा प्रशासकीय/शैक्षिक कार्य का 03 वर्ष का अनुभव एवं शासन व विश्वविद्यालय के नियमों का ज्ञान।	01 सीधी भर्ती से
3.	उप कुलसचिव वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन-6600/-(लेबल-11)	(i) **अनिवार्य:** प्रथम/उच्च द्वितीय श्रेणी में परास्नातक, प्रशासकीय/शैक्षिक कार्य का 09 वर्ष की नियमित सेवा का सुपरवाइजिरी लेबल का अनुभव एवं शासन व विश्वविद्यालय के नियमों का ज्ञान। अथवा राज्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हतानुसार **अधिमानी अर्हता:** विधि स्नातक।	02 सीधी भर्ती से
4.	सहायक कुलसचिव वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4800/-(लेबल-8)	प्रथम/उच्च द्वितीय श्रेणी में परास्नातक, के साथ प्रशासकीय कार्यो का 05 वर्ष की नियमित सेवा का कार्यालय अधीक्षक स्तर का अनुभव तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय नियमों का ज्ञान। अथवा राज्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हतानुसार	04 सीधी भर्ती से
5.	स्टोर क्रय अधिकारी	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से	01

	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4600/-(लेबल-7)	डिग्री एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी एवं रेपूटेड इंस्टीट्यूशन में स्टोर एवं क्रय संबंधी 03 साल की नियमित सेवा का अनुभव	सीधी भर्ती से
6.	सहायक अभियंता (सिविल),वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400/- (लेबल-10)	सिविल इंजीनियरिंग में बी0टेक0 एवं 03 साल की नियमित सेवा का अनुभव	01 सीधी भर्ती से
7.	अवर अभियंता (इलेक्ट्रिकल) वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4200/-(लेबल-6)	संबंधित विषय/फील्ड में डिप्लोमा एवं 03 साल की नियमित सेवा का अनुभव	01 सीधी भर्ती से
8.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-1 लेबल-10	मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से बी0ई0/बी0टेक (कम्प्यूटर विज्ञान) या मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से एम0एस0सी0/ एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) या स्नातक एवं डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 (नीलिट) से बी स्तर का प्रमाण पत्र (एम0सी0ए0 के समतुल्य) एवं प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पद पर कम से कम 05 वर्ष की नियमित सेवा एवं कार्य उत्तम स्तर का हो।	03 सीधी भर्ती से
9.	डाटा एनालिस्ट वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4600/-(लेबल-7)	मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से बी0ई0/बी0टेक(कम्प्यूटर साइंस/आई0टी0) एवं प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पद पर कम से कम 03 वर्ष का संबंधित फील्ड में अनुभव।	01 सीधी भर्ती से
10.	नेटवर्क इंजीनियर लेबल-10	मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से बी0ई0/बी0टेक(कम्प्यूटरसाइंस/आई0टी0) एवं प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पद पर कम से कम 05 वर्ष का संबंधित फील्ड में अनुभव।	01 सीधी भर्ती से
11.	इनोवेशन आफिसर वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4600/-(लेबल-7)	मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से परास्नातक की डिग्री एवं कम से कम 04 वर्ष का टीचिंग/ रिसर्च/ आई0पी0आर0 में सुपरवाईजिरी स्तर का अनुभव।	01 सीधी भर्ती से
12.	वीडियो प्रोड्यूसर वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4600/-(लेबल-7)	मास कम्यूनिकेशन/जर्नलिस्म एवं मॉस कम्यूनिकेशन/मीडिया स्टडीज/ ऑडियों-वीजुअल प्रोडक्शन की विशेषज्ञता में 55 प्रतिशत अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से परास्नातक उत्तीर्ण अथवा किसी भी विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ परास्नातक तथा किसी भी शिक्षा संस्थान में ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन में	01 सीधी भर्ती से

		तीन साल का अनुभव	
13.	एडिटर स्टूडियो वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4600/-(लेबल-7)	मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से स्नातक एवं फिल्म एडिटिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा	01 सीधी भर्ती से
14.	प्रोड्यूसर स्टूडियो वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400/- (लेबल-10)	मास कम्यूनिकेशन/जर्नलिस्म एवं मॉस कम्यूनिकेशन/मीडिया स्टडीज/ ऑडियों-वीजुअल प्रोडक्शन की विशेषज्ञता में 55 प्रतिशत अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से परास्नातक उत्तीर्ण अथवा किसी भी विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ परास्नातक तथा किसी भी शिक्षा संस्थान में ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन में तीन साल का अनुभव	01 सीधी भर्ती से
15.	प्रोग्राम ऑफीसर, वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400/- (लेबल-10)	मास कम्यूनिकेशन/जर्नलिस्म एवं मॉस कम्यूनिकेशन/मीडिया स्टडीज/ ऑडियों-वीजुअल प्रोडक्शन की विशेषज्ञता में 55 प्रतिशत अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से परास्नातक उत्तीर्ण अथवा किसी भी विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ परास्नातक तथा किसी भी शिक्षा संस्थान में ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन में तीन साल का अनुभव	01 सीधी भर्ती से
16.	लाइब्रेरियन पे बैण्ड 4 ए0जी0पी0 10,000	शैक्षिक अर्हता एवं अनभुव ए0आई0सी0 टी0ई0 के मानक अुनसार	01 सीधी भर्ती से
17.	डिप्टी लाइब्रेरियन पे बैण्ड 3 ए0जी0पी0 8,000	शैक्षिक अर्हता एवं अनभुव ए0आई0 सी0टी0ई0 के मानक अुनसार	01 सीधी भर्ती से
18.	कैटलागर लेबल 4	स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में 03 वर्षीय डिप्लोमा एवं कम्प्यूटर पर संबंधित कार्यो का 02 वर्ष का अनुभव	01 सीधी भर्ती से
19.	कार्यालय सहायक लेबल 3	राज्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतानुसार।	30 सीधी भर्ती से
20.	कनिष्ठ लिपिक लेबल 3	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट तथा हिन्दी/अंग्रेजी टाइपिंग में 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।	20 सीधी भर्ती से
21.	चतुर्थ श्रेणी	कक्षा 8 उत्तीर्ण एवं कार्मिक विभाग द्वारा	20

		बनाई गयी समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली में निहित अर्हताओं के अनुसार।	सेवा प्रदाता के माध्यम से

पर अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए पद सृजन हेतु शासन को संदर्भित करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: कुलसचिव)

मद संख्या 33.09 विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रयोजनों में आवश्यकता के दृष्टिगत पाँच अतिरिक्त परामर्शियों/विशेषज्ञों को 89 दिन के लिए रखने तथा संतोषजनक सेवा के आधार पर 3-3 माह का सेवा विस्तार प्रदान करते हुए अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए विस्तारित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत करने पर विचार।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में विशिष्ट परियोजनाओ/ कार्ययोजनाओं एवं पं० दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार योजना के कार्यो के दृष्टिगत, परामर्शियों के सहयोग की आवश्यकता वित्तीय, पेटेन्ट, ट्रेनिंग/प्लेसमेन्ट, इनोवेशन एवं कम्प्यूटर/ इलेक्ट्रानिक्स इत्यादि क्षेत्रों में होगी। अत: उक्त को दृष्टिगत रखते हुए पाँच अतिरिक्त परामर्शी की आवश्यकता पर सहमति प्रदान किया गया। इस प्रकार कुल 15 परामर्शियों को 3 माह की अवधि हेतु निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने की व्यवस्था इस लोच के साथ अनुमन्य की कि कुलपति द्वारा अपने स्तर से 3-3 माह की अवधि (89 दिन) के साथ कुल 03 वर्ष तक सेवा विस्तारण अनुमन्य करने पर अनुमोदन प्रदान किया।

(कार्यवाही: कुलसचिव)

मद संख्या 33.10 राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त के उपरान्त विश्वविद्यालय सेवा में पुर्ननियुक्ति किये जाने के संबंध में।

विश्वविद्यालय एवं घटक संस्थान (सेंटर फार एडवांस स्टडीज, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, आई०ई०टी०, लखनऊ एवं यू०पी० इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नोएडा) में शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थान से सेवा निवृत्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी को जिनकी आयु क्रमश: 70 वर्ष (शिक्षको हेतु) एवं 65 वर्ष (अधिकारी/कर्मचारी हेतु) से कम हो को उनके सेवा की गुणवत्ता के दृष्टिगत पुर्ननियुक्ति पर आवश्यकतानुसार रखे जाने का सैद्धांतिक अनुमोदन कार्यपरिषद द्वारा किया गया। उनको सेवा निवृत्ति के समय देय मूल वेतन में से पेंशन घटाते हुए भुगतान किया जाएगा।

(कार्यवाही: कुलसचिव)

मद संख्या 33.11 विश्वविद्यालय संस्थान एवं विश्वविद्यालय के घटक संस्थान में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (Annual Performance Appraisal Report) के संबंध में।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के घटक संस्थानों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों के द्वारा सम्पादित किये जा रहे शैक्षणिक/कार्यालयीय कार्यो की समीक्षा के दृष्टिगत समिति के समक्ष शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का निर्धारित प्रोफार्मा प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि शैक्षणिक कर्मचारियों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की अवधि 01 जुलाई से 30 जून तथा गैरशैक्षणिक कर्मचारियों की वार्षिक अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य किये जाने के निर्देश दिये गये। शैक्षणिक अधिकारियों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा। शिक्षकों/अधिकारियों/ कर्मचारियों की भविष्य में पदोन्नति उनके वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर की जायेगी।

समिति द्वारा शैक्षणिक अधिकारियों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के परीक्षण हेतु प्रो0 एस0पी0शुक्ला, निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा को अधिकृत किया गया एवं उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही: कुलसचिव)

मद संख्या 33.12 **विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि डॉ0 आर0ए0 माशेलकर, को डी0एस-सी0 की मानद उपाधि प्रदान किये जाने पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

परिषद द्वारा 16वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि डॉ0 आर0ए0 माशेलकर, को डी0एस-सी0 की मानद उपाधि प्रदान किये जाने पर अपनी संस्तुति प्रदान की।

(कार्यवाही: अधिष्ठाता परास्नातक)

मद संख्या 33.13 **प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस तथा उक्त अवसर पर प्रतिभा सम्मान आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।**

परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाये जाने तथा विश्वविद्यालय हित में उच्च योगदान प्रदान करने वाले प्रतिभाशाली एवं मेहनती अधिकारी/कर्मचारी तथा **Talent Incentive Scheme** के तहत पाठ्यक्रमवार मेधावी छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं उत्कृष्ठ प्रदर्शन (Best Performance) करने वाले विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं को भी स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

(कार्यवाही: उप कुलसचिव)

मद संख्या 33.14 **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों के शिक्षकों को गम्भीर बीमारी की स्थिति में चिकित्सा हेतु अग्रिम प्रदान किये जाने के संबंध में कर्मचारी कल्याण निधि**

की व्यवस्था में संशोधन पर विचार।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण निधि नियमावली–2017 के बिन्दु–3 में दिये गये प्राविधानों से समिति अवगत हुई तथा विचारोंपरान्त नियमावली में निम्न आंशिक संशोधनों उपरान्त,

1. विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी/उनके आश्रितों के साथ–साथ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों के शिक्षकों को भी अतिगम्भीर रोगों के इलाज हेतु रू0 1.00 लाख अग्रिम दिये जाने की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।
2. विश्वविद्यायल के कर्मचारियों/उनके आश्रितों को जानलेवा बीमारी (Life Threatening Diseares) जैसे Kidney Failure, Heart Ailment, Cancer इत्यादि के इलाज में आर्थिक सहायता हेतु अधिकतम सीमा जो रू0 3.00 लाख है उसे बढ़ाकर रू0 5.00 किये जाने का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि यदि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपना इलाज एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ, डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, लखनऊ, के0जी0एम0सी0, लखनऊ एवं आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस इत्यादि सरकारी अस्पताओं में कराया गया है तो तद्स्थिति में उसका भुगतान सीधे संबंधित चिकित्सा संस्थान को किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।
3. कर्मचारियों को आवास ऋण प्रदान किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश शासनादेश के नियमों को अंगीकृत करते हुए उसे कर्मचारी कल्याण कोष से समय–समय पर अनुमन्य ब्याज की दर पर प्रदान किये जाने पर संस्तुति प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: वित्त अधिकारी)

मद संख्या 33.15 **विश्वविद्यालय के संस्थान वास्तुकला संकाय में स्टूडियो सहायक के पदनाम को सहायक प्रोफेसर के पदनाम में परिवर्तित किये जाने के संबंध में विचार।**

परिषद द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त वास्तुकला संकाय के स्टूडियों सहायक के पदनाम को विलोपित करते हुए उसी के समकक्ष शैक्षिक योग्यता का एक तकनीकी पद सृजन किये जाने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। उक्त पद को सेवा प्रदाता के माध्यम से भरे जाने संबंधी प्रस्ताव को शासन को संदर्भित किया जाय।

(कार्यवाही: अधिष्ठाता/प्राचार्य, वास्तुकला संकाय)

मद संख्या 33.16 **विश्वविद्यालय के संस्थान सेन्टर फार एडवांस स्टडीज के नाम में त्रुटि संशोधित किये जाने के संबंध में विचार।**

परिषद द्वारा सेन्टर फार एडवांस स्टडीज के नाम से संबंधित प्रस्ताव पर परिशीलन करने के उपरान्त यह निर्देश दिया कि जिस शासनादेश से उक्त संस्थान का गठन हुआ है उसमें उल्लिखित नाम सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज को ही संस्थान का सही नाम समझा जाए।

(कार्यवाही: निदेशक, सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज)

मद संख्या 33.17 विश्वविद्यालय के संस्थान सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज हेतु सर्वश्रेष्ठ LOGO डिजाइन करने वाले प्रतिभागी को रू0 20,000/- का नगद पुरस्कार दिये जाने एवं LOGO अनुमोदित किये जाने के संबंध में विचार।

परिषद द्वारा सेन्टर फार एडवांस्ड हेतु प्रस्तुत किये गये LOGO को पुनः डिजाइन करने के निर्देश दिये गये तथा सर्वश्रेष्ठ LOGO के चयन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाहीः निदेशक, सेन्टर फार एडवांस स्टडीज)

मद संख्या 33.18 विश्वविद्यालय के संस्थान सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज में शैक्षिक सत्र 2019-20 से चलाये जाने वाले एम0टेक0 पाठ्यक्रमों के नोमेन क्लेचर की संस्तुति, सलाहकार बोर्ड एवं संबंधित विशेषज्ञों की समिति संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

परिषद द्वारा संस्थान सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज के प्रस्तावित पाँच विधाओं/क्षेत्रों Energy, Bio-Technology, Manufacturing Science and Technology, Water Resource Management and Urban and Rural Infrastructure में एम0टेक0 पाठ्यक्रमों को संचालित करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी तथा उक्त पाठ्यक्रमों के नोमेन क्लेचर हेतु निम्नोक्त सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया:-

1. प्रो0 एस0पी0 शुक्ला, निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा।
2. प्रो0 वीरेन्द्र पाठक, निदेशक, यू0पी0 इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, नोएडा।
3. प्रो0 के0वी0 आर्य, अधिष्ठाता, परास्नातक पाठ्यक्रम एवं शोध,ए0के0टी0यू0।
4. प्रो0 विनीत कंसल, अधिष्ठाता स्नातक पाठ्यक्रम, ए0के0टी0यू0।

उक्त सलाहकार बोर्ड संस्थान में आगामी सत्र से चलाये जाने वाले एम0टेक0 विधाओं की समकालीन उपयोग के दृष्टिगत अपनी सहमति प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाहीः निदेशक, सेन्टर फार एडवांस्ट स्टडीज)

मद संख्या 33.19 विश्वविद्यालय के संस्थान वास्तुकला संकाय में प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय हेतु आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार।

परिषद द्वारा वास्तुकला संकाय में प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय हेतु आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि उक्त पदों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने का पद सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाहीः अधिष्ठाता/प्राचार्य, वास्तुकला संकाय)

मद संख्या 33.20 सेन्टर फार एडवांस स्टडीज, ए0के0टी0यू, लखनऊ में नव नियुक्त सहायक कुलसचिव श्री सौरभ सिंह के वेतन संरक्षण पर अनुमोदन दिये जाने पर विचार।

सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज के सहायक कुलसचिव, श्री सौरभ सिंह, के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त उनके द्वारा वेतन संरक्षण की माँग की गयी उनके

मूल वेतन को नियमानुसार रू0 56900/- संरक्षित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्य परिषद ने यह निर्देश दिया गया कि इनके नियुक्ति पत्र में वेतनमान संबंधी आवश्यक संशोधन तद्नुसार कर दिया जाए।

(कार्यवाही: उप कुलसचिव)

मद संख्या 33.21 **विश्वविद्यालय की विनियमावली 2010 के अध्याय छ: में निजी अभियंत्रण संस्थाओं के शिक्षकों एवं संदान निधि के ब्याज के संबंध में कतिपय संशोधन प्राविधानित करने पर विचार।**

1. परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की विनियमावली 2010 के अध्याय छ: के नियम 6.09. में संदान निधि के ब्याज के संबंध में निम्नानुसार प्राविधानित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6.09A. The interest accrued on Endowment Funds deposited by every college as per Regulation 6.09 shall be utilized by the University for the benefit of the students, faculties of the affiliated colleges or as such as the University deems fit for similar purposes.

6.09B. Where the college ceases to exist, the principal amount of the Endowment Fund shall be returned to the college concerned after completion of the procedure stipulated by the University and the State Government from time to time in this behalf.

2. इसी प्रकार परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की विनियमावली 2010 के अध्याय छ: के नियम 6.18 में में निजी अभियंत्रण संस्थाओं के शिक्षकों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली प्रभावी करने हेतु निम्नानुसार प्राविधानित किये जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

6.18A. Prior approval from the University shall be taken by the affiliated colleges before dismissing or relieving any teacher from the institution.

6.18B. Any employee/institute aggrieved by the conduct of the college or the employee as the case may be may make a representation before the Grievance Redressal Committee.

6.18C. Colleges are under obligation to adhere to the recommendations made by the Grievance Redressal Committee.

A Constitution of Grievance Redressal Committee: (Under S.18 (1)(j) of the Act)

1. Grievance redressal Committee for redressing the complaints of the employees of the colleges affiliated to the University shall consist of:

(1)	Retired Provincial Civil Services Officer / Professor	Chairman
(2)	Dean Faculty	Member
(3)	Deputy Registrar	Member
(4)	Law Officer	Member
(5)	Assistant Registrar nominated by the Registrar	Secretary

2. At least 3 members of the committee including Chairman shall constitute the quorum.
3. All the recommendations made by the Grievance Redressal Committee shall be approved by the Vice Chancellor.
4. In case the recommendations of the Grievance Redressal Committee approved by the Vice Chancellor is not adhered to by the Colleges, it may be considered as breach of conditions of affiliation and would attract Clause 6.24 of the Regulations.

B Objectives of Grievance Redressal Committee

1. Grievance Committee shall have the following powers:

a. To provide appropriate opportunity for fair hearing to both the parties in dispute.
b. To accept and consider written and signed complaints of teachers, management board and other academic staff in respect of matters directly affecting them individually or as a group;
c. To create a committee for conducting inspection on the complaints made by the aggrieved party;
d. to the grievances, and make necessary recommendations to the Vice Chancellor for appropriate action.

C. PROCEDURE FOR GRIEVANCE DISPOSAL:

1. Grievance pertaining to the teachers and the colleges may be received at the portal created by the University for Grievance redressal or in the office of the Registrar nominated by the Registrar.
2. The aggrieved party shall approach the Grievance Redressal Committee by making a representation in writing within 90 days from the date of dispute.
3. The aggrieved party shall provide all the necessary documents required for the adjudication of their dispute.
4. The Grievance Redressal Committee may dispose the complaints within 30 days from the date of first hearing.

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

मद संख्या 33.22 डॉ0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध संस्थानों हेतु ई-कन्सोर्टियम संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध संस्थानों में ई-कन्सोर्टियम संबंधी रेगुलेशन का अवलोकन किया गया। उक्त के संबंध में निर्देशित किया गया कि रेगुलेशन पर विधिक परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

(कार्यवाहीः विधि अधिकारी)

मद संख्या 33.23 विश्वविद्यालय के घटक संस्थान आई0ई0टी0, लखनऊ के विभिन्न विभागों/अनुभागों के लिए शिक्षणेत्तर पदों के सृजन के सम्बन्ध में विचार।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को मितव्ययता के संबंध में निर्गत किये गये शासनादेश के दृष्टिगत परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के घटक संस्थान आई0ई0टी0, लखनऊ के पद सृजन संबंधी प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त औचित्य सहित विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जाने के साथ-साथ सभी पदों पर सेवा प्रदाता के माध्यम से भर्ती किये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। उक्त के अतिरिक्त संस्थान में स्थित छात्रावासों के लिए मांगे गये अतिरिक्त पदों पर होने वाले व्यय को छात्रावास के संचालन की आमदनी से करने हेतु निर्देश दिया गया।

(कार्यवाहीः निदेशक, आई0ई0टी0, लखनऊ)

मद संख्या 33.24 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानो द्वारा संदान निधि जमा किये जाने की स्थिति पर विचार।

परिषद द्वारा कुल 138 संस्थान जिनके एफ0डी0आर0 के रूप में प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय में जमा है परन्तु नई व्यवस्था अन्तर्गत प्रतिभूति राशि के समतुल्य धनराशि विश्वविद्यालय के खाते में जमा नहीं की गयी है। 29 वे संस्थान जिनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय में जमा एफ0डी0आर0 निर्गत करा लिया गया है परन्तु उक्त के सापेक्ष प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय के खाते में अब तक

जमा नहीं की गयी है। 31 संस्थानों की प्रतिभूति राशि न तो एफ0डी0आर0 और न ही उसके समतुल्य राशि विश्वविद्यालय के खाते में जमा की गयी है।

परिषद द्वारा उपरोक्त सभी संस्थानों का परीक्षा फार्म एवं नामांकन फार्म को रोके जाने की अनुशंसा इस शर्त के साथ की गयी कि संबंधित संस्थानों को प्रतिभूति राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया जाए कि वे एक निर्धारित अवधि के अन्दर पाठ्यक्रमवार संदान निधि विश्वविद्यालय के खाते में जमा करा दें। यदि उनके द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उक्त संस्थानों का परीक्षा फार्म एवं इन्रोलमेन्ट फार्म रोक दिया जाए। इस हेतु उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, को संबंधित संस्थानों से निर्धारित संदान निधि विशेष रूप से ध्यान देकर जमा कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही: उप कुलसचिव)

मद संख्या 33.25 **विश्वविद्यालय के घटक संस्थान आई0ई0टी0, लखनऊ की गवर्निंग बाडी का गठन एवं उसे प्रतिनिधानित दायित्वों के अनुमति पर विचार।**

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के घटक संस्थान आई0ई0टी0, लखनऊ के गवर्निंग बाडी के गठन एवं प्रतिनिधारित दायित्वों से अवगत होने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि एकेडमिक संबंधी समस्त निणर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद में तथा प्रशासनिक निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया।

(कार्यवाही: निदेशक, आई0ई0टी0, लखनऊ)

मद संख्या 33.26 **विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों (Alumni) को चिन्हित कार्यक्षेत्र की विभिन्न विधाओं में अर्जित उपलब्धियों के लिए दीक्षान्त समारोह के अवसर पर सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में।**

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को चिन्हित कार्यक्षेत्र की विभिन्न विधाओं में अर्जित उपलब्धियों हेतु प्राप्त 226 नामांकनों में से गठित समिति की संस्तुति के कम में दीक्षान्त समारोह के अवसर पर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्र श्री सृजन पाल सिंह को सामाजिक सरोकार (Social Impact) की श्रेणी में Alumni एवार्ड देने की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान की गयी।

(कार्यवाही: कुलसचिव)

मद संख्या 33.27 **डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियो की विभिन्न शासनादेशो के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोन्नति हेतु स्वीकृत पदो पर उपयुक्त कर्मियों की पदोन्नति के सम्बन्ध मे विचार।**

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में नियमावली के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अनुरूप अर्ह कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी प्रकिया करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही: कुलसचिव)

बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(नन्द लाल सिंह)
कुल सचिव

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति